फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, ADB शाखा राजसमन्द

–प्रार्थी / सिक्योर कैडिटर

बनाम

श्री रमेश पहाडिया पुत्र श्री भंवरलाल पहाडिया, प्लाट नं0 02, किशोर नगर, अयोध्यापुरी, सिविल लाइन्स के पास, राजनगर, राजसमन्द **(ऋणी)**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 16 / 2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.07.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, ADB शाखा राजसमन्द ने दिनांकः 12.03.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ADB शाखा राजसमन्द द्वारा अप्रार्थीगण को रू 23,96,275 / – रूपये की ऋण दिनांक 24.07.2015 को प्रदान की गई थी तथा उक्त वित्तीय सुविधा प्रदान करते समय उक्त सम्पत्ति के स्वामी श्री रमेश पहाडिया पुत्र श्री भंवरलाल पहाडिया, प्लाट नं0 02, किशोर नगर, अयोध्यापुरी, सिविल लाइन्स के पास, राजनगर, राजसमन्द हैं। जिसका क्षेत्रफल 3301.25 वर्ग गज है, ने उक्त सम्पत्ति को मोरगेज किया गया। तथा बैंक को मोरगेज रखी सम्पत्ति से संबंधित समस्त असल दस्तावेज हमारे बैंक को सुपुर्द कर दिये। अप्रार्थी ने ऋण का मासिंक भुगतान और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते कों बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 21.10.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 11.11. 2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अर्न्तगत रजिस्टर्ड ए0डी0 व दिनांक 16.12.2019 को अखबार में प्रकाशित किया गया। जिसमें नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिवस में बैंक की बकाया राशि नगद साख ऋण खाते में राशि 2245658 / – रूपये अक्षरे बाईस लाख पैंतालिस हजार छह सौ अठावन मात्र दिनांक 31.10.2019 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज का भुगतान करने के लिए मांग की गयी। बैंक को उक्त नगद साख ऋण खाते में राशि 2245658 / – रूपये अक्षरे बाईस लाख पैंतालिस हजार छह सौ अठावन मात्र दिनांक 31.10.2019 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे के अतिरिक्त ऋणी से लेना बकाया है ऋण राशि को वसूल करने के लिये बैंक को बन्धक सम्पत्ति अचल प्लाट नं0 02, किशोर नगर, अयोध्यापुरी, सिविल लाइन्स के पास, राजनगर, राजसमन्द में स्थित है जो कि स्वामी श्री रमेश पहाडिया पुत्र श्री भंवरलाल	

न्यायालय जिला कलक्टर

पहाडिया के नाम से हैं जिसका क्षेत्रफल 3301.25 वर्ग गज है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 11.11.2019 को जारी किया गया था। जिसे अप्रार्थी द्वारा लेने से इनकार किया गया था। जिसके बाद दिनांक 16.12.2019 को अखबार में प्रकाशित किया गया। जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक, ADB शाखा राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी श्री रमेश पहाडिया पुत्र श्री भंवरलाल पहाडिया, प्लाट नं0 02, किशोर नगर, अयोध्यापुरी, सिविल लाइन्स के पास, राजनगर, राजसमन्द हैं। जिसका क्षेत्रफल 3301.25 वर्ग गज है, जिसके पडौस :– उत्तर – प्लाट नं0 01, दक्षिण – प्लाट नं0 03, पूर्व – अन्य आराजी, पश्चिम– आम रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, ADB शाखा राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, ADB शाखा राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द